रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-23122022-241353 CG-DL-E-23122022-241353

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1 PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 316] No. 316] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, दिसम्बर 22, 2022/पौष 1, 1944 NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 22, 2022/ PAUSA 1, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक स्चना

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 2022

सं. 44 / 2015-2020

विषयः विदेश व्यापार नीति 2015–2020 के परिशिष्ट–2ख [उद्गम प्रमाण पत्र (तरजीही) को जारी करने हेतु प्राधिकृत एजेंसियों की सूची] में संशोधन।

विदेश व्यापार नीति, 2015—2020 के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक विदेश व्यापार एतदद्वारा भारत—आस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (इंडो—आस्ट्रे. ईसीटीए) के तहत भारत के निर्यात हेतु तरजीही उद्गम प्रमाण—पत्र (सीओओ) जारी करने हेतु प्राधिकृत एजेंसियों की सूची शामिल करने के लिए विदेश व्यापार नीति के परिशिष्ट 2ख को निम्नानुसार संशोधित करते हैं:

क्र.सं.	समझौते का नाम	प्राधिकृत एजेंसियां	प्रत्येक एजेंसी को सौंपा गया
			उत्पाद
18.	भारत — ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता	निर्यात निरीक्षण परिषद और निर्यात निरीक्षण एजेंसियां	सभी उत्पाद

8588 GI/2022 (1)

क्र.सं.	समझौते का नाम	प्राधिकृत एजेंसियां	प्रत्येक एजेंसी को सौंपा गया उत्पाद
	(ईसीटीए)	समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण और क्षेत्रीय कार्यालय	समुद्री उत्पाद
		विकास आयुक्त, हस्तशिल्प एवं क्षेत्रीय कार्यालय	हस्तशिल्प
		मसाला बोर्ड	मसाले और काजू
		कॉयर बोर्ड	कॉयर और कॉयर उत्पाद
		वस्त्र समिति और क्षेत्रीय कार्यालय	वस्त्र और कपड़ा
		केंद्रीय रेशम बोर्ड और क्षेत्रीय कार्यालय	रेशम उत्पाद
		एमईपीजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र	मद्रास एसईजेड में इकाइयों और उनके क्षेत्राधिकार के भीतर स्थित ईओयू द्वारा सभी उत्पाद।
		कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र	कांडला और सूरत एसईजेड में इकाइयों और उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के भीतर स्थित ईओयू द्वारा विनिर्मित सभी उत्पाद
		एसईईपीजेड विशेष आर्थिक क्षेत्र	एसईईपीजेड, एसईजेड में इकाइयों और उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के भीतर स्थित ईओयू द्वारा विनिर्मित सभी उत्पाद
		कोचीन विशेष आर्थिक क्षेत्र	कोचीन एसईजेड में इकाइयों और उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के भीतर स्थित ईओयू द्वारा विनिर्मित सभी उत्पाद
		नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र	नोएडा एसईजेड में इकाइयों और उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के भीतर स्थित ईओयू द्वारा विनिर्मित सभी उत्पाद
		विशाखापत्तनम विशेष आर्थिक क्षेत्र	विशाखापत्तनम एसईजेड में इकाइयों और उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के भीतर स्थित ईओयू द्वारा विनिर्मित सभी उत्पाद
		फाल्टा विशेष आर्थिक क्षेत्र	फाल्टा एसईजेड में इकाइयों और उनके संबंधित क्षेत्राधिकार के भीतर स्थित ईओयू द्वारा विनिर्मित सभी उत्पाद

क्र.सं.	समझौते का नाम	प्राधिकृत एजेंसियां	प्रत्येक एजेंसी को सौंपा गया
			उत्पाद
		विदेश व्यापार महानिदेशालय और क्षेत्रीय कार्यालय	सभी उत्पाद
		तंबाकू बोर्ड	तंबाकू और तंबाकू उत्पाद
		कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)	कृषि उत्पाद

2. सार्वजिनक सूचना का प्रभावः भारत–आस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता (इंडो–आस्ट्रे. ईसीटीए) के तहत उदगम प्रमाण–पत्र (तरजीही) जारी करने हेत् प्राधिकृत एजेंसियों की सूची को अधिसूचित किया जाता है।

[फा. सं. 01/93/180/05/एएम-22/पीसी-2(ख)/ई-34097]

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 22nd of December, 2022

No. 44/2015-20

Subject: Amendment of Appendix 2B [List of Agencies Authorised to issue Certificate of Origin (Preferential)] of Foreign Trade Policy, 2015-2020

In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2015-2020, the Director General of Foreign Trade hereby amends Appendix 2B of the FTP for including the list of agencies authorised to issue Preferential Certificate of Origin (CoO) for India's exports under India-Australia Economic Cooperation and Trade Agreement (Ind-Aus ECTA), as under:

S.No.	Name of the Agreeme	ent	Authorized Agencies	Product Assigned to each agency
			Export Inspection Council and Export Inspection Agencies	All products
			Marine Products Export Development Authority and regional offices	Marine products
			Development Commissioner, Handicraft, and regional offices	Handicraft
			Spices Board	Spices and Cashew nuts
			Coir Board	Coir and Coir products
			Textile Committee and regional offices	Textiles and Clothing
			Central Silk Board and regional offices	Silk products
			MEPZ special Economic Zone	All products by Units in Madras SEZ and EOUs located within the jurisdiction.
			Kandla Special Economic zone	All products manufactured by Units in Kandla and Surat SEZs and EOUs located within the respective jurisdiction

S.No.	Name of the Agreement	Authorized Agencies	Product Assigned to each agency
			All products manufactured by Units in SEEPZ SEZ and EOUs located within the respective jurisdiction.
		Cochin Special Economic Zone	All products manufactured by Units in Cochin SEZ and EOUs located within the respective jurisdiction
		-	All products manufactured by Units in Noida SEZ and EOUs located within the respective jurisdiction
		Vishakhapatnam Special Economic Zone	All products manufactured by Units in Vishakhapatnam SEZ and EOUs located within the respective jurisdiction
		Falta Special Economic Zone	All products manufactured by Units in Falta SEZ and EOUs located within the respective jurisdiction
		Directorate General of Foreign Trade and regional offices	All products
		Tobacco Board	Tobacco and tobacco products
		Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority (APEDA)	•

2. <u>Effect of the Public Notice:</u> List of agencies authorised to issue Certificate of Origin (Preferential) under India-Australia Economic Cooperation and Trade Agreement (Ind-Aus ECTA) is notified.

[F. No. 01/93/180/05/AM-22/PC-2[B]/E-34097] SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade & Ex- officio Addl. Secy.